...लय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(...सीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

...शल संख्या:– 62/2024

निर्णय दिनांक :– 18.12.2024

उ...वानी प्रार्थना पत्र :

कृष्णा पत्नि अनुराग जाति बलाई उम्र बालिग निवासी मकान नम्बर 19, हरिविलाश, शारदा मार्ग, सिविल लाईन अजमेर जिला अजमेर राज0

– प्रार्थी –

बनाम

1. रंगलाल पुत्र धूला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार महोदय देवली जिला टोक राज0

– अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री प्रेमचन्द जैन
अनिल चौहान प्रार्थी
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही श्री
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1
तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 281 खसरा नम्बर 326 रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम रामथला पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नम्बर 297 रकबा 0.56 है0 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज है तथा खसरा नम्बर 296 सिवायचक भूमि एवं खसरा नम्बर 199 गै0मु0 रास्ता एवं खसरा नम्बर 300 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। खसरा नम्बर 300 वर्तमान मे दोनो तरफ से बंद हो रखा है। प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 199 से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 297 एवं सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 296 एवं गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 300 में से होकर वर्षो से आती जाती रही है तथा वर्तमान मे भी उपयोग उपभोग कर रही है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाती ले जाती है तथा वर्तमान मे उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया के खेत मे जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने भी

18.12.2024

भूमि मे से आने जाने के लिये प्रार्थीया को मना कर दिया है जिसके कारण ...िया अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रही है। प्रार्थीया की भूमि पड़त रह जाती ... जिससे प्रार्थीया को काफी आर्थिक नुकसान होता है। प्रार्थीया को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 199 से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 297 एवं सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 296 में से होकर गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 300 तक 15 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे कारत की आराजी भूमि खाता संख्या 281 खसरा नम्बर 326 रकबा 1. 28 है0 वाके ग्राम रामथला पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टोक राज0 पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 199 से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 297 एवं सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 296 मे से होकर गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 300 तक 15 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 तामिल की प्रति रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गई। डाक विभाग की रजिस्टर्ड तामिल की रशीद व डिलिवरी रिपोर्ट पेश, जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जिसके तथ्य इस प्रकार हैः– प्रार्थी को आराजी में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मौके पर रिकॉर्ड में कदमी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता देवली केकड़ी सड़क मार्ग ख0न0 111 से ख0न0 174, 199 गै0मु0 रास्ता से जुड़ता हुआ राजस्व नक्शा व मौके पर मौजूद कदमी रास्ता ख0न0 297, 296 से ख0न0 300 गै0मु0 रास्ता से होकर प्रार्थिया की आराजी तक पहुंच मार्ग होगा।

18.12.2024

प्रस्तावित रास्ते की चौडाई व लम्बाई, क्षेत्रफल वर्गमीटर में निम्नानुसार

[illegible]0	औसत लम्बाई	चौडाई	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
297	108 मी	4.57 मीटर	493.56
296	82 मी	4.57 मीटर	374.74
कुल–02	190 मी.	4.57 मीटर	868.30

प्रस्तावित रास्ता राजस्व नक्शा में कदीमी रास्ता है तथा मौके पर भी कदीमी रास्ता मौजूद है जिस पर ग्रेवल डाला हुआ है। प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 449927/– के अनुसार कमशः राशि जिसकी एक गुणा कुल राशि 39068/– व दुगुनी 78136/– रूपये है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। उक्त खातेदारी में ख. नं. 326 में ईंट भट्टा बना हुआ है जो वर्तमान में बन्द है। प्रार्थी खसरा नं0 296 व 297 में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य पेड, दीवार संरचना इत्यादि नहीं है। अप्रार्थी खातेदार ख0न0 297 रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की छायाप्रति संलग्न है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट दिनांक 04.10.24 अनुसार प्रार्थी की आराजी ख. नं. 326 रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम रामथला में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार नही बताया है। प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं बताई है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 326 वाके तनग्राम रामथला में जाने के लिए खसरा नम्बर

18.12.2024

Scanned with OKEN Scanner

मु. रास्ता ख. नं. 174 व 199 से अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी भूमि ख. नं. 297 यचक भूमि ख. नं. 296 मे से होकर 15 फीट रास्ते की प्रार्थना की है। यह प्रस्तावित गै. मु. रास्ता ख. नं. 300 पर मिलता है, जिससे प्रार्थी अपनी आराजी ख. नं. 326 पर पहुंच सकता है। तहसीलदार देवली द्वारा भी प्रा. पत्र अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट दिनांक 04.10.24 व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार ग्राम रामथला की आराजी ख. नं. 297 रकबा 0.56 हैक्टेयर में से 4.57 मीटर चौडाई व 108 मीटर लम्बाई जिसका क्षेत्रफल 493.56 वर्ग मीटर व ख. नं. 296 रकबा 0.29 हैक्टेयर में से 4.57 मीटर चौडाई व 82 मीटर लम्बाई जिसका क्षेत्रफल 374.74 वर्ग मीटर, कुल किता 2 कुल लम्बाई 190 मी. व कुल चौड़ाई 4.5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 868.30 वर्ग मीटर के लिए डी. एल. सी दर 449927/– प्रति है0 की दर अनुसार क्षेत्रफल 374.74 वर्ग. मी. के लिए एक गुना राशि 39060/– रूपये व दुगनी राशि 78136/–रूपये प्रतिकर राशि जमा कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता सिवायचक के रूप में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 18.12.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner